कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

:—आख्यात्मक—आदेशः—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः— शिविरा/मा/संस्था/सी—2/नियुक्ति—इतिहास/पीएससी—15/2017 दिनांक 24.06.2017 द्वारा शशिकांत व्याख्याता इतिहास का पदस्थापन राबाउमावि, गोमावाली, श्रीगंगानर में किया गया। शशिकांत ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी याचिका संख्या 10882/2020 शशिकांत बनाम राज्य सरकार व अन्य में दायर की।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 09.11.2020 में याचिकार्थी को अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए है।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2020 के कम में याचिकार्थी शशिकांत द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपने एक छोटा बच्चा होना और अपनी पत्नी के राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय, मुकन्दगढ—झुन्झुनू में कार्यरत एवं स्वयं और पत्नी के पदस्थापन स्थान की दूरी लगभग 300 किलोमीटर होने के आधार पर अपना पदस्थापन पत्नी के पदस्थापित स्थान के नजदीक किए जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अतः याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर
दिनांकः— 13/1/21

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी—2/अभ्यावेदन/शशीकांत/को.के/20—21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जोधपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जि.शि.अ. (माध्य—विधि) जोधपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त—निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

235
12/1/21